



बिहार सरकार
कला, संस्कृति और युवा विभाग
बिहार सरकार



बिहार राज्य फ़िल्म विकास
एवं वित्त निगम लिमिटेड



बिहार फ़िल्म प्रोत्साहन नीति 2024





बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

३१ आषाढ़ १९४८ (श०)

(सं० पटना ६८०) पटना, रामवार, २२ जुलाई २०२४

सं० २ / वि. ६०-११२/२०२२-६४५
कला, संस्कृति एवं युवा विभागसंकल्प
१९ जुलाई २०२४

विषय: बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति २०२४

१. प्रस्तावना:

विश्व में सर्वाधिक फिल्मों का निर्माण भारत में होता है। वर्ष 2023 में भारतीय फिल्म उद्योग द्वारा 12,226 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। भारतीय सिनेमा अर्थव्यवस्था में न केवल मनोरंजन का स्रोत है बल्कि रोजगार एवं पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। सामाजिक मुद्राओं को उजागर करने एवं सामाजिक चेतना को जगाने में भी सिनेमा का अहम योगदान है। समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करके सिनेमा एक सकारात्मक बदलाव का कारण बनता है।

बिहार ने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह कई बॉलीवुड और क्षेत्रीय फिल्मों का स्थल रहा है। साथ ही कई बिहारी लेखकों, अभिनेताओं और निर्देशकों ने इस उद्यम में अपनी पहचान बनाई है। बिहारी संस्कृति और सिनेमा के मेलजोल से होने वाले मिलन से सिनेमा का दृष्टिकोण विविध कथाओं और कहानियों से भरा होता है जो सिनेमैटिक दृश्यों को समृद्धि प्रदान करता है।

बिहार एक समृद्ध और बहुमुखी परंपरा और संस्कृति में डूबा हुआ राज्य है। एक ऐसा राज्य जो प्राचीन भारतीय इतिहास की आधारशिला है। वह स्थान जहाँ बौद्ध, हिन्दू, जैन, सिख धर्म और सूफी की जड़ें हैं। यह राज्य भारत को समृद्ध, अलौकिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन प्रदान करने के लिए जाना जाता है।

राज्य सरकार फिल्म निर्माण, फिल्म पर्यटन, फिल्म निर्माण में निवेशों को प्रोत्साहित करने, फिल्म से संबंधित आधारभूत संरचना को स्थापित करने, युवाओं को कुशल बनाने तथा रोजगार सृजन करने की संभावना को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने एवं इससे जुड़े व्यवसायों में रोजगार को बढ़ावा देने तथा राज्य के अमूल्य विरासत, संस्कृति एवं दार्शनिक स्थलों के प्रदर्शन एवं प्रचार-प्रसार हेतु यह नीति बनाई गई है।



2. दृष्टिकोणः

बिहार को फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के लिए प्रमुख स्थान बनाना और राज्य में फिल्म उद्योग के समावेशी विकास का वातावरण बनाकर राज्य के विकास को प्रोत्साहित करना।

3. परिभाषाएँः

- 3.1 फिल्म नीति – बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024।
- 3.2 अधिनियम– भारतीय चलचित्र अधिनियम 1952।
- 3.3 फिल्म निगम– बिहार राज्य फिल्म विकास और वित्त निगम।
- 3.4 सरकार– बिहार सरकार।
- 3.5 प्रबंध निदेशक– बिहार राज्य फिल्म विकास और वित्त निगम के प्रबंध निदेशक
- 3.6 'फिल्म' का अर्थ है एक सिनेमैटोग्राफ फिल्म अथवा सिनेमा चलचित्र।
- 3.7 'सिनेमैटोग्राफ फिल्म' का अर्थ है दृश्य रिकॉर्डिंग का कोई भी काम है और जिसमें ध्वनि रिकॉर्डिंग शामिल है।
- 3.8 'सिनेमैटोग्राफ' का अर्थ है वीडियो फिल्मों सहित सिनेमैटोग्राफी के अनुरूप किसी भी प्रक्रिया द्वारा निर्मित किसी भी कार्य को शामिल करना होगा और इसमें फीचर फिल्में, लघु फिल्म, वृत्तचित्र, टीवी शृंखला, वेब शृंखला द्वारा विज्ञापन फिल्में शामिल होंगी।

4. उद्देश्यः

- 4.1 राज्य को फिल्म निर्माण के एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित करना।
- 4.2 बिहार की सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, विरासत और समृद्ध परंपराओं का फिल्म के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना।
- 4.3 राज्य की प्रादेशिक भाषाओं में अच्छी फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देना।
- 4.4 राज्य के अद्भुत, सुंदर, ऐतिहासिक एवं मनमोहक पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना एवं इन स्थलों पर फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देना।
- 4.5 फिल्म निर्माण हेतु आधारभूत संरचना का विकास करना एवं इस क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित एवं प्रोत्साहित करना।
- 4.6 राज्य में फिल्म शूटिंग की अनुमति की आसान प्रक्रिया बनाना।
- 4.7 स्थानीय प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसरों का विकास करना और उन्हें बढ़ावा देना।
- 4.8 फिल्म उद्योग से संबंधित कौशल तथा सेवा क्षेत्र का विकास करना।

5. रणनीतिः

- 5.1 राज्य में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन और छूट प्रदान करना।
- 5.2 आधारभूत संरचना बनाने के लिए अनुदान उपलब्ध कराना।
- 5.3 फिल्म निर्माताओं को फिल्म निर्माण हेतु एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना।
- 5.4 फिल्म निर्माण के लिए बुनियादी ढाँचागत सुविधाएँ निश्चित करना।

6. संस्थागत तंत्रः

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार फिल्म निर्माण नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग होगा। यह फिल्म निर्माण के कार्यान्वयन तथा इससे संबंधित अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी करने के लिए उत्तरदायी होगा। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार राज्य फिल्म विकास और वित्त निगम को मजबूत करेगा जो उसके प्रशासनिक कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इसके अतिरिक्त यह बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के निर्विघ्न कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक वर्ष के आय-व्ययक में मांग सं0-8 के अधीन राज्य स्कीम बजट शीर्ष 2205-कला एवं संस्कृति-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता—0101-बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड, विपत्र कोड 082205001900101 के अंतर्गत विषय शीर्ष 3106-सहायता अनुदान—गैर वेतन में फिल्म विकास एवं वित्त निगम के लिए वित्तीय प्रावधान भी करेगा। नीति के कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग नीति के अनुसार आवश्यक प्रशासनिक/वित्तीय तथा संस्थागत निर्णय लेगा।



7. सशक्त समिति:

राज्य में बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के स्पष्टीकरण, निर्वचन, समीक्षा, विवाद समाधान के लिए एक सशक्त समिति गठित की जाएगी। विकास आयुक्त, बिहार सरकार समिति के अध्यक्ष होंगे तथा इसमें अन्य हितधारक विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सदस्य होंगे। यह समिति, बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के अधीन अनुदान स्वीकृति अनुशंसा, नीति व्याख्या, संशोधनों तथा विवाद निराकरण हेतु प्राधिकृत होगी।

सशक्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

	पदनाम
1. विकास आयुक्त, बिहार सरकार	अध्यक्ष
2. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	सदस्य सचिव
3. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव गृह विभाग	सदस्य
4. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सूचना जनसंपर्क विभाग	सदस्य
5. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव वित्त विभाग	सदस्य
6. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव उद्योग विभाग	सदस्य
7. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव पर्यटन विभाग	सदस्य
8. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव नगर विकास विभाग	सदस्य
9. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव पर्यावरण एवं वन विभाग	सदस्य

टिप्पणी: यह समिति अपेक्षानुसार किसी अन्य विभाग/निदेशालय/बोर्ड/ट्रस्ट (न्यास)/संगठन आदि को बुलाने के लिए सशक्त होगी।

8. बिहार राज्य फिल्म विकास और वित्त निगम:

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम (फिल्म निगम) राज्य में बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगा। फिल्म निगम बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के क्रियान्वयन, प्रक्रिया निर्धारण, चेकलिस्ट, फॉर्मेट, करार एवं आवेदनों की समीक्षा एवं उनके आपत्ति निराकरण का कार्य करेगी।

9. फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ (एफ एफ सी):

राज्य में एक समर्पित फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ (फिल्म फेसीलिटेशन सेल) का गठन किया जाएगा। यह प्रकोष्ठ बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम में प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में कार्यरत होगा। फिल्म निगम के अधीन यह प्रकोष्ठ प्रशासनिक निर्णयों का निर्वहन, फिल्म शूटिंग की मंजूरी, प्रमाणन आदि को सरल बनाने तथा दैनंदिन कार्य करेगा। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य विभिन्न विभाग/निदेशालय/बोर्ड/निगम आदि से होंगे:



फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ के सदस्य

पदनाम

1. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम	अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव/निदेशक संस्कृति, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	सदस्य
3. संयुक्त सचिव/निदेशक, सूचना जनसंपर्क विभाग	सदस्य
4. संयुक्त सचिव/निदेशक, पर्यटन विभाग	सदस्य
5. संयुक्त सचिव/निदेशक, वित्त विभाग	सदस्य
6. संयुक्त सचिव/निदेशक, परिवहन विभाग	सदस्य
7. संयुक्त सचिव/निदेशक, गृह विभाग	सदस्य
8. संयुक्त सचिव/निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
9. संयुक्त सचिव/निदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	सदस्य
10. निदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	सदस्य
11. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना	सदस्य
12. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत फिल्मों के विभिन्न पहलुओं से जुड़े राज्य के 5 सदस्य	सदस्य
13. महाप्रबंधक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम	सदस्य सचिव

टिप्पणी: यह समिति अपेक्षानुसार केन्द्रीय मंत्रालय/एजेंसी/राज्य के विभाग/ निदेशालय/बोर्ड/ट्रस्ट/संगठन आदि के पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों को बुलाने के लिए सशक्त होगी।

- 9.1 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ राज्य में फिल्म निर्माण को आसान बनाने के लिए फिल्म निर्माताओं को सुविधा प्रदान करेगा।
- 9.2 फिल्म शूट के दौरान फिल्म निर्माताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ विभागों/निदेशालयों/राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय पदधारियों से सम्पर्क करेगा।
- 9.3 फिल्म निर्माताओं के लिए आवेदन देने से लेकर सब्सिडी देने तक की प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाने हेतु फिल्म सरलीकरण प्रकोष्ठ उत्तरदायी होगा।
- 9.4 यह प्रकोष्ठ ऑनलाईन सभी आवेदन प्राप्त करेगा एवं फिल्मांकन की अनुमति, फिल्म अनुदान हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जाँच करेगा।
- 9.5 अनुदान चयन के लिए पटकथा की गुणवत्ता एवं बजट का परीक्षण फिल्म प्रकोष्ठ करेगा और अपनी अनुशंसा सशक्त समिति के समक्ष रखेगा। इस कार्य हेतु निगम अपने अधीन एक समिति का गठन करेगा जिसमें पटकथा लेखन एवं वित्त विशेषज्ञ शामिल होंगे।



- 9.6 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ इस नीति से संबंधित विस्तृत दिशा—निर्देश, नियम, प्रक्रिया, मापदंड एवं अन्य सभी प्रपत्र एवं अनुबंध जो कि नीति के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हो, को निर्धारित/लागू करने हेतु प्राधिकृत होगा।
- 9.7 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ फिल्म नीति संबंधी आवेदन शुल्क/पंजीयन शुल्क आवश्यकतानुसार तय कर सकेगा।
- 9.8 यह प्रकोष्ठ फिल्म शूटिंग हेतु सभी संभावित स्थलों का संकलित विवरण समय—समय पर प्रकाशित करेगा एवं प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया के माध्यम हेतु प्रचार—प्रसार हेतु कार्य करेगा।
- 9.9 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों, गोष्ठी, सेमिनार आदि में भागीदारी पर निर्णय लेगा, जो राज्य में फिल्म नीति को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। राज्य में भी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय फिल्म समारोह/गोष्ठी/सेमिनार आयोजित करेगा।
- 9.10 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा फिल्म नगरी मुम्बई में निर्माताओं को फिल्म बनाने के लिए आकर्षित करने/सुविधा प्रदान करने के लिए शाखा कार्यालय आवश्यकतानुसार स्थापित किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- 9.11 फिल्म शूटिंग प्रमोशन प्रकोष्ठ मेकअप कलाकारों, कॉस्ट्यूम डिजाइनरों, हेयरड्रेसर, सेट डिजाइनरों, बिजली और प्रकाश तकनीशियनों, स्पॉट बॉय, सहायक निर्देशकों और बिहार में आधारित किसी भी अन्य प्रासंगिक भूमिका सहित फिल्म कर्मीदलों और सहायक संसाधनों की एक सूची बना कर रखेगा।
- 9.12 प्रकोष्ठ नियमित रूप से फिल्म निर्देशकों और प्रोडक्शन हाउसों के साथ डेटाबेस साझा करेगा। इसे फिल्म निगम की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
- 9.13 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ, फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एफ.टी.टी.आई.पुणे एवं सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली तथा अन्य समकक्ष संस्थानों में राज्य के अध्ययनरत छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करेगा।
- 9.14 फिल्म निर्माण पाठ्यक्रमों जैसे सिनेमेटोग्राफी, अभिनय, पटकथा लेखन, निर्देशन, संपादन आदि को बिहार संगीत नाटक एवं फिल्म विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों में डिग्री/व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के रूप में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माण संस्थानों के साथ संबद्धता से शुरू करने की पहल करेगा।
- 9.15 फिल्म निर्माण पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए फिल्म कर्मीदल के साथ इंटर्नशिप की व्यवस्था करेगा।
- 9.16 फिल्म निर्माण और फिल्म उद्योग से संबंधित अन्य पाठ्यक्रम संचालित करने वाले नए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के विकास के संबंध में पता लगाया जाएगा।
- 9.17 राष्ट्रीय नाट्य संस्थान और फिल्म एवं टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान जैसे प्रमुख संस्थानों के बिहार में अपने परिसरों की स्थापना के लिए उनके साथ एमओयू/टाई—अप की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।
- 9.18 फिल्म प्रौद्योगिकी, एवीजीसी (एनीमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक्स), ग्राफिक्स और संबंधित क्षेत्रों में स्टार्ट—अप को बढ़ावा दिया जाएगा।

10. जिला स्तरीय फिल्म समन्वय समिति:

फिल्म समन्वय समिति फिल्म निर्माताओं को संबंधित जिलों में फिल्म निर्माण के दौरान सुविधा प्रदान करेगी। यह समिति निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी :

जिला स्तरीय फिल्म समन्वय समिति के सदस्य

	पदनाम
1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3. अपर जिला पदाधिकारी—नोडल पदाधिकारी	सदस्य
4. जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी	सदस्य
5. जिला सचिव एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी	सदस्य
6. जिला परिवहन पदाधिकारी	सदस्य
7. जिला कला और संस्कृति पदाधिकारी	सदस्य सचिव

नोट: यह समिति अपेक्षानुसार विभाग/निवेशालय/बोर्ड/ट्रस्ट/संगठन आदि के पदाधिकारी/प्रतिनिधि को बुलाने के लिए सशक्त होगी।



10.1 शूटिंग दिवसों में फ़िल्म निर्माताओं को हितधारकों, जमीनी मंजूरी, विधि व्यवस्था सहयोग आदि की आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना ।

10.2 जिलों में संबंधित फ़िल्म निर्माताओं द्वारा शूटिंग दिवसों की संख्या के आँकड़े तथा सूचना का संग्रह करना ।

10.3 फ़िल्म सुविधा प्रकोष्ठ, फ़िल्म निगम के साथ संपर्क करना तथा विहित फार्मेट में रिपोर्ट समर्पित करना ।

11. एकल खिड़की मंजूरी:

फ़िल्म निर्माताओं और प्रोडक्शन हाउस को आकर्षित करने के लिए एक सुव्यस्थित और कुशल मंजूरी प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। फ़िल्म निर्माताओं को शूटिंग ईकाइयों के लिए अप्रतिबंधित पहुंच के साथ—साथ पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करना ताकि शूटिंग बिना किसी बाधा के जारी रह सके न केवल राज्य में रचनात्मक संभावनाओं को बढ़ाएगी बल्कि प्रोडक्शन हाउस को आकर्षित करने में भी योगदान देगी ।

11.1 फ़िल्म निगम राज्य में शूटिंग करने के इच्छुक फ़िल्म निर्माताओं के लिए एकल बिन्दु इंटरफ़ेस प्रदान करने तथा समयबद्ध अनुमति तंत्र के लिए एक समर्पित ऑनलाइन फ़िल्म वेब पोर्टल तैयार करेगा ।

11.2 यह पोर्टल फ़िल्म प्रोत्साहन नीति, नियम, विनियम से संबंधित सूचना देने तथा प्रोत्साहन राशि/मंजूरी/अनापत्ति प्रमाणपत्र/अनुदान तथा अन्य उपयोगी सेवाओं पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए एकल पलेटफार्म के रूप में कार्य करेगा ।

11.3 फ़िल्म निगम राज्य में शूटिंग, सुरक्षा व्यवस्था, सब्सिडी/अनुदान तथा फ़िल्म निर्माण, प्रसंस्करण और प्रोत्साहन के लिए दैनिक परिचालन सहायता हेतु एकल खिड़की के माध्यम से आवेदन प्रसंस्करण में फ़िल्म निर्माताओं को सुविधा प्रदान करेगा ।

11.4 यह निबंधन, आवेदन, अनिवार्य अनुमोदन, शिकायत निवारण, अंकेक्षण तथा समय पर सब्सिडी देने की प्रक्रिया को सुप्रवाही तथा स्वचालित भी करेगा ।

11.5 समस्त नीति दस्तावेज और फारम, फ़िल्म निगम के वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे ।

11.6 दिशानिर्देशों के अनुसार यह नीति, अनुमति चाहनेवाले तथा सब्सिडी का दावा करनेवाले सभी योग्य क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय फ़िल्म निर्माताओं पर लागू होगी ।

11.7 फ़िल्म निगम के वेब/मोबाइल पोर्टल पर एकबार ऑनलाइन निबंधन अनिवार्य होगा ऐसा नहीं करने पर शूटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

11.8 राज्य में फ़िल्मांकन किए जाने के लिए संबंधित परियोजना (फ़िल्म) हेतु निबंधन पश्चात् ऑनलाइन आवेदन संबंधित निर्माण गृह (प्रोडक्शन हाउस)/फ़िल्म निर्माता द्वारा समर्पित किया जायेगा ।

11.9 फ़िल्म निगम द्वारा सम्यक् जाँचोपरान्त सब्सिडी अनुमोदन पत्र आवेदक को दिया जाएगा ।

11.10 परियोजना (फ़िल्म) के पूरा होने/प्रदर्शित होने के पश्चात् प्रोडक्शन हाउस/फ़िल्म निर्माता, प्रोत्साहन राशि/सब्सिडी को संसाधित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्तुत करेगा ।

11.11 फ़िल्म निगम फ़िल्म निर्माताओं से ऑडियो/वीडियो या किसी अन्य साधन के माध्यम से स्वघोषणा/वचनबंध की माँग करेगा कि राज्य के बारे में उसका कोई विपरीत या नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है ।

11.12 प्रोत्साहन/सब्सिडी राशि आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में ऑनलाइन दी जाएगी ।

11.13 प्रत्येक जिले में एडीएम स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जायेगा, जो कि फ़िल्म नीति के क्रियान्वयन में जिला स्तर पर सहयोग एवं समन्वय करेगा ।



12. फिल्म नीति अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन:

- 12.1 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ, फिल्म निगम में फिल्म निर्माण/टीवी सीरियल/वेब श्रंखला आदि एवं अन्य नीति संबंधित प्रावधानों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
- 12.2 फिल्म निर्माताओं को राज्य में अपनी फिल्मों के अधिकारिक फिल्मांकन करने के दृष्टिकोण से प्रदेश में किसी भी भाषा में फिल्म निर्माण किये जाने पर अनुदान हेतु निम्न पात्रता मापदंड निर्धारित किये जाते हैं।

13. फिल्मों के लिए अनुदान:

- 13.1 पहली फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान:

क्र.सं.	पहली फिल्म के लिए अनुदान	मापदंड
1.	₹ 2 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत का 25%, जो भी कम हो	फिल्म की संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो।
2.	₹ 2.50 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत का 25%, जो भी कम हो	फिल्म की संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो।

- 13.2 दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान:

क्र.सं.	दूसरी फिल्म के लिए अनुदान	मापदंड
1.	₹ 2.75 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत का 25%, जो भी कम हो	फिल्म की संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो।
2.	₹ 3.00 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत का 25%, जो भी कम हो	फिल्म की संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो।

- 13.3 तीसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान:

क्र.सं.	तीसरी फिल्म के लिए अनुदान	मापदंड
1.	₹ 3.50 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत का 25%, जो भी कम हो	फिल्म की संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो।
2.	₹ 4.00 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत का 25%, जो भी कम हो	फिल्म की संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो।





- 13.4 यदि राज्य में 75% से अधिक शूटिंग दिवस वाली फिचर फ़िल्म के फ़िल्मांकन में राज्य को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया हो, तथा राज्य को सीधे तौर पर बढ़ावा मिलता हो तो ऐसी फ़िल्म को प्रत्येक श्रेणी में (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय फ़िल्म) अधिकतम ₹ 50.00 लाख फ़िल्म सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा दिया जायेगा।
- 13.5 राज्य विशेष ब्रांडिंग की दृष्टि से राज्य पर आधारित कहानी/स्क्रिप्ट पर राज्य में फ़िल्मांकन एवं फ़िल्म निर्माण हेतु फ़िल्म की परियोजना लागत के 50 प्रतिशत अथवा ₹ 2.00 करोड़ जो भी कम हो, का विशेष अनुदान दिया जा सकेगा। इस प्रकार के अनुदान विषयक निर्णय के लिए सशक्त समिति अधिकृत होगी।
- 13.6 यदि फ़िल्म निर्माता राज्य के स्थानीय कलाकारों को कार्य का अवसर दे रहा हो तो अतिरिक्त अनुदान के रूप में, न्यूनतम तीन प्रमुख स्तर के कलाकारों के लिए अधिकतम ₹ 25.00 लाख ₹ 50 प्रदान किये जायेंगे और न्यूनतम पांच द्वितीयक स्तर के कलाकारों के लिए ₹ 10.00 लाख ₹ 50 अथवा दोनों श्रेणियों हेतु कलाकारों के वास्तविक भुगतान की 50 प्रतिशत राशि, जो भी कम हो प्रदान की जायेगी।
- 13.7 फ़िल्म निर्माण की कुल लागत और कुल शूटिंग दिवसों की संख्या जो कि आवेदन में प्रस्तुत की गयी है, का निर्णय आवेदक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर लिया जायेगा।
- 13.8 बिहार में निर्मित भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका इत्यादि क्षेत्रीय फ़िल्मों के लिए अनुदान की राशि कुल सीमा लागत का अधिकतम 50% होगी तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में निर्मित फ़िल्म के लिए अनुदान की सीमा लागत का अधिकतम 25% होगी।
- 13.9 फ़िल्म संबंधी सभी अनुदान और प्रतिपूर्ति फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड के U अथवा U/A प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं फ़िल्म के रिलीज होने पर दिए जाएँगे। टीवी धारावाहिक/वेब श्रृंखला आदि को भी अनुदान की राशि टीवी/मीडिया प्लेटफार्म पर रिलीज होने पर ही देय होगी।
- 13.10 राज्य में शूटिंग दिवसों की संख्या के बारे में जानकारी संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित की जाएगी।

14. राज्य में टी.वी. धारावाहिकों/शो की शूटिंग के लिए आर्थिक सहायता:

क्र.सं.	सम्बिद्धि (आर्थिक सहायता)	मापदंड
1.	50 लाख तक या कुल निर्माण लागत (सीओपी) का 25%, जो भी कम हो	राज्य के अंदर न्यूनतम 45 दिवसों की शूटिंग
2.	1 करोड़ तक या कुल निर्माण लागत (सी ओ पी) का 25%, जो भी कम हो	राज्य के अंदर न्यूनतम 90 दिवसों की शूटिंग

- 14.1 ऊपर की आर्थिक सहायता केवल उन्हीं आवेदकों को प्रदान की जाएगी, जो जीईसी (आम मनोरंजन चैनल) से प्रसारण कार्यक्रम का प्रमाण—पत्र जमा करेंगे।
- 14.2 यदि टीवी धारावाहिक निर्माता बिहार के कलाकारों (अभिनेताओं, निर्देशकों, पटकथा लेखकों, चलचित्रकारों (सिनेमेटोग्राफर) और अन्य फ़िल्म तकनीशियनों) को पर्याप्त कार्य अवसर प्रदान कर रहा है तो 25 लाख की अतिरिक्त आर्थिक सहायता या वास्तविक शुल्क भुगतान का 50% जो भी कम हो प्रदान की जाएगी।

15. ओटीटी (ओवर द टॉप) मंच पर प्रदर्शित की जाने वाली वेब शूटिंगों के लिए आर्थिक सहायता:

क्र.सं.	आर्थिक सहायता राशि	मापदंड
1.	2 करोड़ तक या निर्माण लागत (सीओपी) का 25%	कुल शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 50% या राज्य में शूट के 30 दिवस
2.	3 करोड़ तक या निर्माण लागत (सीओपी) का 25%	कुल शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 70% या राज्य में शूट के 60 दिवस

16. बिहार में शूट किए जाने वाले वृत्तचित्र के लिए आर्थिक सहायता:

राज्य में पर्यटक स्थलों, वन्यजीव, इतिहास, विरासत, संस्कृति, भोजन, हस्तशिल्प, धार्मिक उत्सव एवं प्रदेश से जुड़ी विरासत/इतिहास की कहानी आदि विषयों पर वृत्तचित्र निर्माण के लिए अनुभवी और प्रतिष्ठित वृत्तचित्र निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 30 लाख की आर्थिक सहायता या कुल निर्माण लागत के 50% के समतुल्य, जो भी कम हो, प्रदान किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने वाले वृत्तचित्र के लिए 40 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता या कुल निर्माण लागत के 50% के समतुल्य, जो भी कम हो, प्रदान किया जाएगा।

17. राज्य में फिल्म निर्माण की आधारभूत संरचना की स्थापना के लिए अनुदान:


राज्य में फिल्म निर्माण और प्रसंस्करण से संबंधित आधारभूत संरचना और सेवा आधारभूत संरचना को बनाने हेतु निवेशकों के लिए निम्नलिखित अनुदान देय होगा :

क्र.सं.	अनुदान स्कीम	न्यूनतम परियोजना लागत (लाख में)	अधिकतम प्रोत्साहन (%में)	अधिकतम अनुदान सीमा (लाख में)
1.	आधारभूत संरचना फिल्म सेट/फिल्म सिटी/थीम पार्क/ थीम—गाँव, बीएफएक्स के लिए फिल्म स्टुडियो एनिमेशन, ध्वनि रिकॉर्डिंग/डिबिंग, रंग सुधार स्थापित करने के लिए।	200	25%	150
2.	फिल्म निर्माण और प्रसंस्करण के लिए फिल्म प्रकाश, उच्च रिजॉल्युसन कैमरा, ध्वनि प्रणाली, डिबिंग आदि के लिए।	100	25%	100
3.	पूरी तरह से सुसज्जित स्टुडियो की स्थापना के लिए।	50	25%	25
4.	एनिमेशन और कम्प्यूटर ग्रैफिक्स केंद्र तथा अन्य तकनीकी सुविधाओं आदि की स्थापना के लिए।	50	25%	25

नोट: आवेदनकर्ता को यह अनुदान राज्य के किसी एक ही नीति यथा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति/बिहार पर्यटन नीति/बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत देय होगा।

18. आवास और परिवहन सुविधाएं:

- 18.1 विभिन्न बजट श्रेणियों में होटल और गेस्ट हाउसों को फिल्म निगम के साथ सूचीबद्ध करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- 18.2 फिल्म इकाइयों को उनके ठहरने की अवधि के लिए फिल्म निगम के सूचीबद्ध गेस्ट हाउसों और होटल में विशेष दर पर बोर्डिंग और लॉजिंग की सुविधा दी जाएगी।
- 18.3 फिल्म निगम फिल्म इकाइयों को शूटिंग हेतु परिवहन सुविधा अनुदानित दर पर प्रदान करेगा।



19. उच्च श्रेणी की सिनेमा प्रदर्शन सुविधाएं हेतु योजना:

फिल्म उद्योग के समग्र विकास हेतु उच्च श्रेणी की सिनेमा प्रदर्शन सुविधाएं आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा छविग्रहों में भौतिक सुख-संसाधन तथा प्रौद्योगिकी के कुछ मानकों को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष योजना बनाई जाएगी। सिने व्यवसाय को आर्थिक रूप से सफल बनाने के उद्देश्य से बन्द/घाटे में चल रहे छविग्रहों को पुनर्संरचित कर 125 अथवा अधिक सीटों की क्षमता के छोटे सिनेमा हॉल सहित व्यावसायिक गतिविधियां प्रारंभ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

20. बिहार फिल्म महोत्सव एवं राज्य फिल्म पुरस्कार:

20.1 बिहार की स्थानीय संस्कृति भाषा और परम्पराओं को बड़े पैमाने पर दर्शकों तक पहुँचाने और राज्य के उभरते और स्थापित फिल्म निर्माताओं को अपने काम को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मैदान प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष राज्य में बिहार फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के माध्यम से स्थानीय कलाकारों तक नीशियाँ और अन्य संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। साथ ही बिहार में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

20.2 बिहार फिल्म निगम हर वर्ष रोचक एवं तकनीकी उत्कृष्टता और सामाजिक प्रासंगिकता की फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार राज्य फिल्म पुरस्कार देगा जिसके लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा।

20.3 यह पुरस्कार निर्माताओं, निर्देशकों, अभिनेताओं, संगीतकारों, गायकों, गीतकारों, पठकथा लेखन, तकनीशियाँ, सिनेमटोग्राफी, सेकअप कलाकार, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, एवं अन्य कर्मी दलों को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाएगा।

20.4 यह पुरस्कार ऐसे बिहारी फिल्म निर्माताओं/निर्देशकों एवं अन्य कलाकारों को भी सम्मानित करेगा, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोंत्सवों और मंचों पर पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

20.5 यह पुरस्कार क्षेत्रीय एवं हिंदी भाषाओं की उत्कृष्ट फिल्मों को अलग-अलग प्रदान किया जाएगा।

20.6 पुरस्कार सम्मान राशि, समय-समय पर बिहार फिल्म प्रकोष्ठ द्वारा निर्धारित की जाएगी।

21. फिल्मों के प्रचार प्रसार की व्यवस्था:

किसी भी फिल्मों के प्रचार-प्रसार का उनकी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कई बार ऐसा पाया गया है कि उत्कृष्ट श्रेणी की क्षेत्रीय फिल्में विषयन एवं जानकारी के अभाव में दर्शकों तक नहीं पहुँच पाती हैं। ऐसे में सरकार द्वारा जनसाधारण में स्थानीय विषयों मुद्राओं एवं बिहार की विभिन्न भाषाओं में बनी फिल्मों, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित फिल्मों को राज्य के दर्शकों तक पहुँचाने के लिए सहायता दी जाएगी। इससे न केवल एक तरफ जनसाधारण को अच्छी गुणवत्ता वाली क्षेत्रीय फिल्मों को देखन का मौका मिलेगा तो दूसरी तरफ कम बजट की गुणवत्तापूर्ण क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को भी बल मिलेगा।

22. राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में बनी फिल्मों का राज्य के सभी तरह के सिनेमाघरों में अनिवार्य प्रदर्शन:

राज्य की क्षेत्रीय भाषा में फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने एवं फिल्म निर्माण की लागत की वसूली के लिए यह आवश्यक है कि इन फिल्मों को सिनेमाघरों में प्रदर्शित करने का अवसर मिले। इसलिए बिहार फिल्म नीति के अंतर्गत प्रदेश के सभी सिनेमाघरों/मल्टीप्लेक्स को राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में बनी फिल्मों को सभी सिनेमाघरों/मल्टीप्लेक्स में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा।

23. बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति का प्रचार-प्रसार:

बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को लक्षित समूह/व्यक्तियों/संघों तक प्रचारित करने के लिए फिल्म निगम द्वारा राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर विभिन्न कार्यक्रम यथा सम्मेलन एवं संगोष्ठी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही फिल्मों से जुड़े महत्वपूर्ण ऐसे कार्यक्रम जिनमें राष्ट्रीय स्तर के कलाकार, निर्देशक, निर्माता अथवा फिल्म उद्योग कि अन्य जानी मानी हस्तियाँ द्वारा प्रतिभागिता की जाती हो, में सम्मिलित हो बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति का प्रचार-प्रसार किया जायेगा।





24. नीति का कार्यान्वयन:

फिल्म प्रोत्साहन नीति का कार्यक्षेत्र समूचा बिहार होगा।

25. विवाद समाधान:

नीति के कार्यान्वयन में किसी विवाद का समाधान सशक्त समिति द्वारा किया जाएगा। समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी संबंधितों पर बाध्यकारी होगा।

26. संशोधन:

सशक्त समिति बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के किसी प्रावधान में संशोधन, व्याख्या तथा स्पष्टीकरण के लिए प्राधिकृत की जायेगी।

27. परिचालन दिशा—निर्देश:

बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशा निर्देश अलग से जारी किए जायेंगे। यह नीति बिहार राजपत्र में इस नीति की अधिसूचना निर्णत की तिथि से प्रभावी होगी। प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 19.07.2024 को मद संख्या—15 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश से,
हरजोत कौर बम्हरा,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

बिहार सरकार
कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना
शूटिंग अनुमति हेतु प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश

- 1.1 बिहार में शूटिंग प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माता/निर्देशक/प्रोड्यूसर/लाईन प्रोड्यूसर को बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड को प्रोजेक्ट के विषय में सामान्य जानकारी अनुलग्नक-1 के अनुसार उपलब्ध करानी होगी।
- 1.2 सिंगल विंडो वेब पोर्टल के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान निर्माता/निर्देशक/प्रोड्यूसर/लाईन प्रोड्यूसर को बिहार में शूटिंग हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड को प्रोजेक्ट के विषय में सामान्य जानकारी फॉर्म अनुलग्नक-2 एवं अनुलग्नक-ए में भर कर उपलब्ध करवानी होगी। यह फॉर्म फिल्म निगम के वेबसाइट <https://film.bihar.gov.in/> तथा कला संस्कृति एवं युवा विभाग के वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/yac/> पर उपलब्ध है। फॉर्म को भर कर निगम के मेल आई डी biharfilmnigam@gmail.com पर भेज सकते हैं या बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम के कार्यालय में जमा करना होगा।
- 1.3 बिहार में शूटिंग प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माता / निर्देशक / प्रोड्यूसर / लाईन प्रोड्यूसर को बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड के वेबसाइट पर पंजीयन करना अनिवार्य होगा। सिंगल विंडो विलयरेंस सिस्टम निर्माण होने तक ऑफलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- 1.4 निर्माता / निर्देशक / प्रोड्यूसर / लाईन प्रोड्यूसर / कोरियोग्राफर / मेकअप आर्टिस्ट / अन्य तकनीकी कर्मी सभी की पंजीयन प्रक्रिया निःशुल्क होगी।
- 1.5 बिहार में शूटिंग अनुमति हेतु सिंगल विंडो निर्माण उपरांत वेब पोर्टल <https://film.bihar.gov.in/> पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, जिसमें बिहार के लोकेशन्स की जानकारी, उनके संबंधित विभागों/जिलों/शुल्क, शूटिंग अनुमति हेतु आवेदन एवं अन्य आवश्यक जानकारियां उपलब्ध है।
- 1.6 शूटिंग अनुमति हेतु विधिवत प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र अनुलग्नक-2 अनुसार ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
- 1.7 शूटिंग हेतु आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे।
- 1.8 सबंधित विभाग/लोकेशन के लिए निर्धारित प्रारूप पर आवेदन एवं शुल्क जमा कराना होगा।
- 1.9 ऑनलाइन सिंगल विप्लिंग सिस्टम के तहत आवेदक को अपनी चयनित फिल्म लोकेशन/शूटिंग तिथि/शूटिंग अवधि की जानकारी के साथ संबंधित लोकेशन हेतु आवश्यक शुल्क जमा कराना होगा।
- 1.10 बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति-2024 के क्रियाचर्न के लिए सभी 38 जिलों में पदस्थ जिला पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है।
- 1.11 फिल्म शूटिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की अनुमति प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड के स्तर पर प्रत्यायोजित की जाती है।

2. अनुदान हेतु सामान्य प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश:

- 2.1 बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति-2024 के अंतर्गत अनुदान आवेदन हेतु वही फीचर फिल्म / वेब सिरीज / टी.वी सीरियल / डॉक्यूमेंट्री आदि पात्र होंगे, जिनकी शूटिंग नीति के अधिसूचित होने की तिथि दिनांक 19-07-2024 के बाद प्रारंभ हुई हो।
- 2.2 आवेदन करने के प्रथम चरण में परियोजना / प्रोजेक्ट की आधारभूत जानकारी के साथ प्रस्तावित शूटिंग स्थलों, शूटिंग दिवस, व्यय, कलाकारों की जानकारी आदि उपलब्ध करानी होंगी, जिसके प्राप्त होने पर औपबंधिक अनुमति पत्र अनुलग्नक-3 के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
- 2.3 फीचर फिल्म / वेब सिरीज / टीवी सीरियल / डॉक्यूमेंट्री आदि के लिए सेंसर प्रमाणन/प्रसारण होने के 06 माह के भीतर अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 2.4 फीचर फिल्म हेतु सेंसर बोर्ड/प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं फीचर फिल्म की न्यूनतम अवधि 90 मिनट होना अनिवार्य होगा।
- 2.5 अनुदान हेतु आवेदित प्रोजेक्ट के फिल्म प्रोड्यूसर (प्रोपराइटर/फर्म/पार्टनरशिप फर्म/प्रा.लि. कम्पनी/एल.एल. पी/ट्रस्ट/सोसायटी) आवेदन कर सकेगा।
- 2.6 आवेदन के साथ यह प्राधिकार पत्र (Authorisation Letter) देना अनिवार्य होगा कि उक्त प्रोजेक्ट के लिए अनुदान आवेदन हेतु संबंधित आवेदक/संस्था अधिकृत है।
- 2.7 अनुदान संबंधी पूर्ण आवेदन अनुलग्नक-4 (अनुदान आवेदन प्रपत्र) के अनुसार प्रस्तुत करना होगा। समस्त दस्तावेज निर्धारित प्रारूप के अनुसार आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।
- 2.8 प्रत्येक अनुदान आवेदन के साथ प्रोसेसिंग फीस रुपये 25,000/- (GST Extra) का ड्राफ्ट/ऑनलाइन भुगतान, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड के नाम पर करना होगा। यह शुल्क नन रिफ़ॅडेबल होगा।

- 2.9 यदि अनुलग्नक-4 के अनुसार कोई भी दस्तावेज आवेदक द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, तो त्रुटि पूर्ति हेतु आवेदक को सूचित किया जायेगा, जो पत्र प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक अनुरोध करता है, तो पूर्ति हेतु 15 दिवस तक की अतिरिक्त समयावधि दी जा सकेगी।
- 2.10 निर्धारित समय पर जानकारी प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदन अस्वीकार किया जा सकेगा।
- 2.11 बिहार में शूटिंग दिवस की संख्या का प्रमाणीकरण संबंधित जिले के जिलाधिकारी/अपर जिला पदाधिकारी (जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत) के द्वारा सत्यापित निर्धारित अनुलग्नक-5 के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।
- 2.12 राज्य में फिल्म स्टूडियो/लैब निर्माण के लिए अनुदान प्रस्ताव निर्धारित अनुलग्नक-6 के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।
- 2.13 अनुदान आवेदन में सम्पूर्ण परियोजना का व्यय एवं लेखा दस्तावेज चार्टेड एकाउन्ट से प्रमाणीकरण के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवश्यकता होने पर एफ.एफ.सी की वित्तीय समिति द्वारा पूर्व सूचना पश्चात् मूल दस्तावेज की मांग परीक्षण हेतु की जा सकती है।
- 2.14 अन्तर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट होने की स्थिति में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय/विदेश मंत्रालय/गृह मंत्रालय भारत सरकार से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
- 2.15 बिहार में फिल्म से संबंधित आधारभूत संरचना बनाने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन संबंधी प्रावधानों के आवेदनों के लिए प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति-2024 में उल्लेखित विवरण के अनुसार रहेंगे। आधारभूत संरचना बनाने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन सबधी अधिनियम नोडल विभाग द्वारा अनुमोदन उपरान्त जारी किया जायेंगे।
- 2.16 अनुदान स्वीकृति से पूर्व आवेदित प्रोजेक्ट को विभाग द्वारा गठित वित्त समिति को 07 दिवस की पूर्व सूचना पर अवलोकन करना होगा, ताकि बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति-2024 के प्रावधानों का परीक्षण किया जा सके। वित्त समिति महाप्रबंधक की अध्यक्षता में गठित होगी, जिसके सदस्य आंतरिक वित्तीय सलाहकार, परामर्शी (फिल्म) और लेखा पदाधिकारी होंगे।
- 2.17 आवेदक द्वारा पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 30 कार्य दिवस की अधिकतम समय सीमा के भीतर निराकरण किया जायेगा।
- 2.18 कोई भी फिल्म कम से कम 10 सिनेमाघरों में या प्रतिष्ठित ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के उपरांत ही अनुदान के लिए पात्र होगी।
- 2.19 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसी भी श्रेणी में सम्मानित होने वाली या गोवा/कांस जैसी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन (एन.एफ.डी.सी) द्वारा अनुशंसित किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आधिकारिक रूप से चयनित फिल्में भी अनुदान की पात्र हो सकती हैं।
- 2.20 शिकायत निराकरण से संबंधित सशक्त समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

3. बिहार के कलाकारों/तकनीशियनों को विशेष अनुदान हेतु मापदण्ड:

- 3.1 बिहार के कलाकारों/तकनीशियनों का आशय बिहार के मूल निवासी से है, जो कि अनुदान हेतु प्रस्तुत प्रोजेक्ट में प्रतिभागी रहे हैं।
- 3.2 बिहार के कलाकारों/तकनीशियनों के बिहार से संबंधित होने के दस्तावेज के रूप में आवासीय प्रमाण पत्र / जन्म प्रमाण पत्र/आधार कार्ड /ड्राइविंग लायसेंस आदि में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
- 3.3 बिहार के कलाकारों/तकनीशियनों के लिए अनुदान आवेदन दावा प्रस्तुत करने से पूर्व आवेदक (निर्माता/प्रोडेक्शन हाउस) को यह प्रमाण/दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा संबंधित कलाकार को भुगतान कर दिया गया है।
- 3.4 प्रमुख स्तर, द्वितीय स्तर एवं दोनों श्रेणियों के कलाकारों के स्क्रीन टाईम की जानकारी भी उपलब्ध करवानी होगी।

★ तकनीशियन (Main Category)- Director/ Cinematographer/Editor/ Writer/ etc.

★ तकनीशियन Second Category)- Assistant Director /Assistant Cinematographer/
Assistant Editor/ Assistant Writer/ etc.



4. वेब सीरिज अनुदान हेतु नियम:

- 4.1 अनुदान पात्रता – नीतिगत प्रावधानों में बिहार में शूटिंग अवधि प्रावधानों के साथ–साथ वेब सीरिज में निम्न पात्रताएं भी होनी चाहिए–
- वेब सीरिज में न्यूनतम 24 मिनट के कम से कम 5 एपीसोड हो अथवा कुल अवधि 120 मिनट हो।
 - वेब सीरिज की स्टोरी/फिल्मांकन में बिहार के क्षेत्रों, संस्कृति, कला की नकारात्मक छवि प्रदर्शित न की गई हो।
 - वेब सीरिज में प्रदूशत होने वाली सामग्री में किसी भी तरह (संवाद/चित्रण) अश्लील न हो।
 - किसी भी ओ.टी.टी प्लेटफार्म द्वारा इसकी Maturity Rating केवल वयस्कों के लिए नहीं होना चाहिए।
- 4.2 बिहार के लोकेशन को प्रमुखता के साथ दर्शाया गया हो।
- 4.3 वेब सीरिज निम्न किसी भी ओ.टी.टी पर रिलीज की गई होः–
- | | |
|-------------------|-----------------------|
| i. Netflix | vi. TVF |
| ii. Sony Liv | vii. Chaupal Bhojpuri |
| iii. Amazon Prime | viii. EROS Cinema |
| iv. Zee 5 | ix. Dangal Bhojpuri |
| v. Jio Cinema | |

(नोट: उक्त सूची को एफ.एफ.सी द्वारा समय–समय पर अपडेट किया जा सकेगा।)

- 4.3 अनुदान आवेदन हेतु प्रस्तुत परियोजना वेब सीरिज के लिए पात्रता संबंधी अन्य नियम बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति–2024 अनुसार होंगे।
- 4.4 आवेदक को एफ.एफ.सी अथवा अधिकृत द्वारा अनुदान सम्बन्धी निर्णय लेने से पूर्व वेब सीरीज दिखाना आवश्यक होगा, जिसकी पूर्व सूचना एफ.एफ.सी द्वारा आवेदक को दी जाएगी।
- 4.5 ओ.टी.टी प्लेटफार्म पर रिलीज होने से सम्बन्धी भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं नियमों को उनके जारी होने के दिनांक से बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति–2024 के वेब सीरीज से सम्बंधित प्रावधानों, नियमों तथा दिशा निर्देशों पर भी लागू किया जायेगा। चूंकि बिहार सरकार/भारत सरकार द्वारा ओ.टी.टी प्लेटफार्म हेतु अभी कोई गाइडलाइन उपलब्ध नहीं है, अतः इस हेतु नियम प्रक्रिया का निर्धारण नोडल विभाग एवं एफ.एफ.सी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

5. टी.वी धारावाहिक/ शो के लिए अनुदान सम्बन्धी मापदण्डः

- बिहार के पर्यटन स्थलों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया हो।
- बिहार के परम्परागत उत्सवों, कला, संस्कृति को कहानी में शामिल किया गया हो।
- बिहार के किसी भी वास्तविक स्थल/कथा/घटना का नकारात्मक चित्रण नहीं किया गया हो।
- बिहार के ऐतिहासिक, राजनैतिक, धार्मिक, पर्यटन महत्व के स्थानों का गरिमामयी छायांकन किया गया हो।
- टी.वी. धारावाहिक/ शो न्यूनतम 24 मिनट के कम से कम 13 एपीसोड हो।
- टी.वी. धारावाहिक/शो के अनुदान हेतु कम से कम 45 अथवा 90 दिवस की शूटिंग के साथ कम से कम 13 अथवा 26 एपीसोड के टेलीकास्ट होने के पश्चात ही पात्र होंगे।

सामान्य अनुदेश

- बिहार की किसी भाषा/जाति/धर्म/व्यक्ति/समुदाय अथवा संस्कृति के विरुद्ध आपत्तिजनक प्रस्तुतिकरण न किया गया हो।
- फिल्म/टी.वी. धारावाहिक/शो/वेब सीरिज के अंतराष्ट्रीय परियोजनाओं की स्थिति में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय/विदेश मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमति ली गयी हो।
- एक टी.वी. धारावाहिक/शो अपने सभी संस्करणों/सीजन में एक ही बार अनुदान हेतु पात्र होगा।
- इस श्रेणी में अनुदान आवेदन करने वाली भारतीय फीचर फिल्म को नीति में उल्लेखित मदों के अनुसार अपना COP (Cost of Production) दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा तथा बिहार में शूटिंग के दौरान किए गए व्यय के देयक इत्यादि CA सर्टिफिकेट के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- अनुदान आवेदन में भारतीय मुद्रा मूल्य के अनुसार व्यय एवं CA सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।



6. डॉक्यूमेंट्री हेतु नियम:

6.1 डॉक्यूमेंट्री निम्नलिखित में से किसी भी चैनल/ओटीटी पर रिलीज़ की गई हो।

- | | | |
|------------------------|---------------------|-----------------|
| a) Discovery | g) Travel XP, | m) TLC |
| b) Epic TV | h) Fox LIFE | n) Netflix |
| c) History Channel | i) NDTV Good Times, | o) Amazon Prime |
| d) Sony BBC Earth I | j) Animal Planet | p) Zee 5 |
| e) National Geographic | k) FOOD FOOD | q) Sony Liv |
| f) DD National | l) Living Foodz, | |

अथवा – एन.एफ.डी.सी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित की गयी हो।

अथवा – किसी भी श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हुई हो।

(नोट: उक्त सूची को एफ.एफ.सी द्वारा समय–समय पर अपडेट किया जा सकेगा।)

6.2 डॉक्यूमेंट्री की न्यूनतम अवधि 30 मिनट की होनी चाहिए।

6.3 डॉक्यूमेंट्री में बिहार की छवि को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

6.4 डॉक्यूमेंट्री में बिहार में पर्यटन स्थलों को प्रमुखता से छायांकित किया गया हो।

6.5 डॉक्यूमेंट्री में बिहार की परम्परागत उत्सवों, कला, संस्कृति को शामिल किया गया हो।

6.6 डॉक्यूमेंट्री फिल्म में बिहार के स्थलों को उसके वास्तविक नाम का आभार व्यक्त किया गया हो।

6.7 डॉक्यूमेंट्री में बिहार की ऐतिहासिक, राजनैतिक, धार्मिक, पर्यटन महत्व के स्थानों का गरिमामयी छायांकन किया गया हो।

6.8 आवेदक द्वारा डॉक्यूमेंट्री के राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय रिलीज़/पुरस्कृत होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (जहाँ लागू हो)।

6.9 उपरोक्त के अतिरिक्त सामान्य प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देशों का पालन किया गया हो।

(नोट: उक्त नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त आवेदक द्वारा बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति–2024 के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा एवं उक्त नियमों में कोई भी बदलाव नोडल विभाग के अधीन होगा।)

7. स्टूडियो/लैब:

7.1 फिल्म स्टूडियो/लैब को स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का भुगतान, स्टूडियो / लैब के क्रियाशील होने के 01 वर्ष के अन्दर 50%, द्वितीय वर्ष में 30% तथा तृतीय वर्ष में 20% किया जायेगा। इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु महत्वपूर्ण हैं—

i. स्टूडियो / लैब के स्थापना संबंधित समस्त आवश्यक प्रपत्र (मानवित्र, सुरक्षा इत्यादि) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ii. स्थापित स्टूडियो / लैब को प्रतिवर्ष कम–से–कम 05 फीचर फिल्में/वेबसीरीज/वेब फिल्में/राष्ट्रीय प्रसारण का पोस्ट प्रोडक्शन का कार्य करना अनिवार्य होगा।

iii. प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रकार के व्यय का विवरण सी.ए. द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा।

iv. फिल्म स्टूडियो/लैब के संचालन में उपयोग में आने वाले सॉफ्टवेयर हेतु अनुदान की सीमा के अन्तर्गत अधिकतम भुगतान किया जा सकेगा।

v. ऐसे उपकरण/उपयोग में आने वाले बुनियादी ढांचे से संबंधित सामग्री आदि बिहार राज्य से क्रय किये जाने वाले व्यय को अनुदान में सम्मिलित किया जायेगा तो उक्त उपकरणों / सामग्री के जी.एस.टी.बिल की प्रति उपलब्ध करना अनिवार्य होगा।

vi. आवेदन प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग अथवा फिल्म निगम द्वारा नामित निरीक्षण समिति द्वारा भौतिक निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

vii. उपलब्ध कराये गए समस्त विपत्रों का परीक्षण निगम द्वारा गठित वित्त समिति द्वारा किया जायेगा।

(नोट: उक्त नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त आवेदक द्वारा बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति–2024 के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा एवं उक्त नियमों में कोई भी बदलाव नोडल विभाग के अधीन होगा।)

8. राज्य के अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति:

- 8.1 बिहार फ़िल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के कंडिका 9.13 में फ़िल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे, सत्यजीत रे फ़िल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली गैंगटोक, बैंगलोर, अगरतला और बाराणसी) में बिहार के अध्ययनरत नियमित छात्रों के लिए वार्षिक छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है। तदनुसार इन संस्थानों के नियमित पाठ्यक्रम में डिग्री/डिप्लोमा में अध्ययनरत बिहार के छात्रों के आवेदन पर वार्षिक छात्रवृत्ति हेतु विचार किया जाएगा।
- 8.2 छात्रवृत्ति हेतु उन्हें अपना आवेदन, नामांकन का साक्ष्य, आधार कार्ड और कोर्स फी संबंधी विवरण निदेशक से सत्यापित कराकर देना होगा।
- 8.3 छात्रवृत्ति के रूप में छात्र के कोर्स फी (मात्र ट्यूशन फी) का वहन किया जाएगा, जिसका भुगतान सीधे संस्थान को किया जाएगा।

9. परिशिष्ट "आ":

(बिहार फ़िल्म प्रोत्साहन नीति-2024 अनुसार) फ़िल्म शूटिंग/टी.वी. धारावाहिक/शो/ओ.टी.टी प्लेटफार्म पर प्रदर्शित होने वाली वेब सीरीज/डाक्यूमेंट्री की कुल परियोजना लागत अन्तर्गत सम्मिलित व्ययमद अनुदान हेतु प्रस्तुत आवेदन में आवेदक द्वारा किये गये कुल पूँजीगत व्यय में से सेवन व्यय मद अनुदान हेतु मान्य होंगे:

1. Lead Actors	11. Art Department Fees Including Wages	20. Vanity Van, Walkies & Picture Vehicles Hire
2. Producer	12. Costume Department Fees	21. Costume Hire
3. Director	13. Make-up & Make-up Material	22. Art, Set & Props Hire
4. Supporting Cast	14. Choreographer Fees	23. Transport
5. Writer	15. Photographer Fees	24. Location
6. Entourage	16. Camera & Equipment Hire	25. Flights & Hotel Accommodation
7. Extras & Features	17. Sound Equipment Hire	26. Production Office Cost
8. Direction Department Fees	18. Light & Grip Hire	27. Post Production
9. Line Producer Fees	19. Generator Hire	
10. Sync Sound & Sync Security		

उपर्युक्त विवरणों के अलावा अन्य अतिरिक्त व्यय मदों को विचार कर उपरोक्त सूची में सम्मिलित करने के लिए प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फ़िल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड, पटना अधिकृत होंगे।

फ़िल्म शूटिंग से सम्बंधित सभी फॉर्म और अनुलग्नक बिहार फ़िल्म विकास एवं वित्त निगम की वेबसाइट film.bihar.gov.in पर उपलब्ध हैं।





